तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमप्रकाश दांतीवाड़ा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 98/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01-06-2022

अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा, पता अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय, गांधी टॉवर चौथी मंजिल, आंधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.03..2022 में (1) जोधपुर तहसील के मौजा नामान्तकरण सन् 2010 से लगातार दर्ज नामान्तरकरण पुस्तिका में किये गये, सम्पूर्ण नामान्तरकरणों की प्रतियां (2)सक्षम अधिकारी द्वारा हलका पटवारी दांतीवाड़ा के नामान्तरकरण दर्ज करने आदेश व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना तहसील कार्यालय जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया, तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 311 दिनांक 31.03.22 को एक पत्र बाबत् राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ.) कमांक/प.20(84)प्रकसू.अ.अ./2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल की जानी है तथा कार्यालय में उपस्थित होकर विभागीय खंजांची के पास राशि जमा कराने का जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील तहसीलदार जोधपुर के विरूद्ध पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 311 दिनांक 31.03.22 को एक पत्र (अपील मीमों के संलग्न है) बाबत् राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ.) कमांक /प.20 (84)प्रकसू.अ.अ./2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल की जानी बताया गया है जबकि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.10.2018 के बाद आज दिनांक तक नहीं तो इस पत्र पर सरकार ने नीति निर्धारण करने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान राज्य सरकार से सलाह मांगी है और न ही पत्र में दिये गये निर्देशों को अमल में लाने हेतु पुनः किसी प्रकार की आदेश आदि से कोई गाईड लाईन जारी की गई है एवं उक्त पत्र के तहत नहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों में आज दिनांक तक संशोधन या परिवर्तन हेतु विधि निमार्ण [illegible] को अपनी ओर से अनुसंशा की है। अन्त में तहसीलदार जोधपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करने की प्रार्थना की।

यद्यपि रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, परन्तृ तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को अपने पत्रांक/सू.अ.अ/2009/ 311 दिनांक 31.03.22 को एक पत्र (अपील मीमों के संलग्न) में

लगातार.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:08 IST
Reason: Self Attested

ाजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ.) कमांक /प.20 (84)प्रकसू.अ. अ./2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल की जानी कहते हुए कुल 26,130/– रूपये जमा कराने को कहा गया। प्रशासनिक सुधार विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.20(84)/प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार विभाग द्वारा विधि विभाग से राय प्राप्त की गई। विधि विभाग द्वारा निम्न राय प्रदान की गई।

"यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस होने के संबंध में अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें"

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में दी जाने वाली सूचना के लिए शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा ही तय किया गया। अतः राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सू.अ.अ.) कमांक /प.20 (84)प्रकसू.अ.अ. /2009/पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.2018 के परिपत्र की अनुपालना में तहसीलदार ने अपीलार्थी/प्रार्थी से राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने को कहा गया, वो उचित प्रतीत होता है तथा तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर निस्तारण सही ढंग से ही किया गया अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। अपीलार्थी/प्रार्थी अब भी चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो तहसीलदार जोधपुर द्वारा चाहा गया सूचना शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। आदेश की प्रति पक्षगण को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:08 IST
Reason: SelfAttested